राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 420/2015
भंवरलाल कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, अंडर मनरेगा, बूंदी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी ।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, के. पाटन, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 01.07.2013 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से राशि 201115.00/– रुपये वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि जिस संबंध में वसूली के आदेश पारित किये गये हैं, उसी संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच भी प्रारंभ की गई है एवं अपीलार्थी को सीसीए नियम–16 के तहत निलम्बित एवं आरोप पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित थी। उसके उपरांत भी अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही की जा रही है, जो गलत है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 09.06.2015 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को संपूर्ण राशि 201115.0/– रुपये वसुल किये जा चुके हैं, जो अपीलार्थी ने अपनी सेवानिवृत्ति होने से पूर्व जमा कराई, ताकि वह सेवानिवृत्ति फॉर्म प्राप्त कर सकें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत रूप से वसुली की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। ऐसे में अपीलार्थी से

जो राशि वसुल की गई है, वह राशि अपीलार्थी को वापस लौटाई जाई, क्योंकि वसूली का आदेश दिनांक 01.07.2013 प्रारंभ से गलत एवं अवैध है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित रहते हुए वसुली की कार्यवाही उचित नहीं थी।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 16.05.2016 की प्रति प्रस्तुत की गई है जो सीसीए नियम–17 के तहत अंतिम आदेश है। उक्त आदेश दिनांक 16.05.2016 में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है:–

> ''प्रकरण में कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आहूत किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक ने अवगत कराया कि उनके द्वारा वसूली योग्य राशि रूपये 201115/– के विरूद्ध राशि रूपये 222000/– वेतन से कटौति करवा ली गई है। आरोपी कार्मिक ने वसूली जमा होने के बाद उनके भविष्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तथा भविष्य में इस प्रकार के अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने बाबत भी अपनी वचनबद्धता दोहराई। वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा होने के सम्बन्ध में विकास अधिकारी के०पाटन के पत्र संख्या 2260 दिनांक 16.12.2015 द्वारा पुष्टि की गई।
>
> मैंने संपूर्ण प्रकरण का आद्योपांत अवलोकन कर अध्ययन एवं गनन किया तथा पाया कि कार्य में स्वीकृति राशि से अधिक व्यय किया गया है तथा मूल्यांकन करने पर व्यय राशि से मूल्यांकन कम राशि का पाया गया। इस प्रकार मूल्यांकन राशि से अधिक व्यय राशि वसूल योग्य है। विकास अधिकारी के०पाटन ने अपने पत्र संख्या 5001–2 दिनांक 15.3.2013 के द्वारा दोषी जनप्रतिनिधि एवं अन्य 12 कार्य में संलग्न कार्मिकों से राशि वसूली का उत्तरदायित्व निर्धारित किया है जो उचित प्रतीत होता है। वसूली निर्धारण में श्री भंवरलाल कुमावत तत्कालीन ग्रामसेवक पदेन सचिव के विरूद्ध 201115.00 रूपये की वसूली उचित प्रतीत होती है। आरोपी कार्मिक ने वसूली योग्य राशि अपने वेतन से कटवा का राजकोष में जमा करवा दी गई है। पत्रावली एवं आरोपी कार्मिक का प्रत्युत्तर का अवलोकन से यह तथ्य भी जाहिर है कि कार्मिक ग्राम पंचायत बलवन में मार्च 2009 से 4.11.2009 तक ही पदस्थापित रहा है जबकि इस कार्य के जांच की अवधि 1.4.2008 से 31.3.2011 की रही है।
>
> अतएव प्रकरण में कार्मिक के द्वारा वसूल योग्य राशि जमा करवा दिए जाने, भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं किए जाने का वचन दिए जाने, इस पंचायत में आरोपी कार्मिक की छोटी अवधि लगभग 9 माह को देखते हुए तथा कार्मिक की अब तक की सेवाओं एवं भविष्य को मध्यनजर रखते हुए लिखित चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है। ''

3. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने स्वयं वसुली योग्य राशि जमा करवाई है और सीसीए नियम–16 की कार्यवाही में यह निवेदन किया है कि वो भविष्य में अनियमितता की प्रवृत्ति नहीं करेगा। चूंकि राशि अपीलार्थी की ओर से सीसीए नियम–17 के

तहत की गई कार्यवाही में जमा करवाई गई है और अपीलार्थी ने यह भी माना है कि वो अनियमितता की पुनरावर्ति नहीं करेगा तो ऐसे में हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत रूप से वसुली की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी से वसुली गई राशि वापस लौटाये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने स्वयं सीसीए नियम–17 की कार्यवाही के दौरान राशि जमा कराई है।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)